उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-141/2017/949/92-2-17-10जांच/2013
लखनऊ:: दिनांक:: 09 अगस्त,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में तत्कालीन सहायक अभियंता, के पद पर कार्यरत रहते हुए श्री विमल प्रसाद गुप्ता द्वारा सम्पादित कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 (तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ) जॉच में की गयी अनियमितता एवं शासकीय क्षति के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-141/92(प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा श्री विमल प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री गुप्ता के पत्र दिनांक 23.08.2014 द्वारा अपना बचाव उत्तर शासन में प्रस्तुत किया गया। उक्त बचाव उत्तर पर शासन के पत्र सं0-179/92-2-16-10जांच/2013 दिनांक 28.09.2016 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से आख्या मांगी गयी, जो उनके पत्र 859-जी-1395-2970/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/व्य0प0/2017-18 दिनांक 20.04.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी। प्रकरण में टी0ए0सी0 जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति राजकीय कोष में जमा की जा चुकी है तथा श्री विमल प्रसाद गुप्ता दिनांक 31.12.2011 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके है।

2- अपचारी अधिकारी श्री विमल प्रसाद गुप्ता, के विरूद्व निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, बचाव उत्तर पर निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री विमल प्रसाद गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-141/92(प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्व निर्गत कारण बताओ नोटिस को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-141/2017/949/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-859-जी-1395-2970/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/व्य0प0/17-18 दिनांक 20.04.2017 के क्रम में।

2- श्री विमल प्रसाद गुप्ता, तत्का0 सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) गाजीपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।